संख्या–979/60–2–17–2/1(38)/17

प्रेषक,

अनीता सी. मेश्राम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 02 मई, 2017

विषय : लाभार्थियों के सर्वे/सत्यापन के सम्बन्ध में।

आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों का सर्वे वर्ष में 02 बार माह अप्रैल व अक्टूबर में कराया जाता है। सर्वे के आधार पर ही पंजीकरण कर लाभार्थी समूह को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। माह अप्रैल, 2017 का सर्वे/सत्यापन प्रतीक्षित है। इस सम्बन्ध में आवश्यक है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अपने क्षेत्र में जाकर वास्तविक रूप से 0 से 06 वर्ष तक के बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं का स्थलीय सर्वे/सत्यापन किया जाये। राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला) व किशोरी शक्ति योजना के लाभार्थियों का भी सत्यापन किया जाना है।

माह अप्रैल, 2017 के सर्वे की कार्यवाही में निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

(1) 20 मई तक समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री अपनी सहायिका अपने क्षेत्र में घर–घर जाकर निर्धारित प्रारूप पर पंजिका में सर्वे का कार्य किया जायेगा।

(2) इस वर्ष सर्वे में लाभार्थी बच्चों/गर्भवती महिलाओं व किशोरियों का मोबाइल नम्बर प्राप्त किया जायेगा। बच्चों व किशोरियों के सम्बन्ध में माता/पिता का मोबाइल नम्बर व महिलाओं का मोबाइल नम्बर न होने पर पति का मोबाइल नम्बर अंकित किया जायेगा। इस हेतु रजिस्टर में अलग से एक अतिरिक्त कालम बनाया जाय।

(3) इस वर्ष प्रत्येक लाभार्थी का आधार कार्ड नम्बर भी अभिलिखित किया जायेगा। बच्चों व किशोरियों के आधार कार्ड न होने की दशा में उनके माता/पिता का आधार कार्ड का नम्बर अंकित किया जायेगा। आधार कार्ड न होने की दशा में उनका EPIC कार्ड का नम्बर अंकित किया जाय तथा कालम में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय कि माता/पिता का नम्बर लिखा गया है। महिलाओं में उनके स्वयं का ही आधार नम्बर अथवा आधार नम्बर न होने की दशा में EPIC का नम्बर लिखा जाय। आधार नम्बर/EPIC नम्बर के लिए भी अलग से एक कालम और बना लिया जाय।

(4) परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को बुलाकर सर्वे हेतु भली–भॉति प्रशिक्षित किया जाये, जिसमें सभी मुख्य सेविकायें भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

(5) समस्त लाभार्थियों को अधिक से अधिक आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित भी किया जाय।

(6) 20 से 25 मई तक मुख्य सेविका द्वारा अलग–अलग 05 गॉवों के ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर जाकर सर्वे का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा। यह गांव बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा रेण्डम आधार पर चयन कर मुख्य सेविका को सत्यापन हेतु दिया जायेगा। परियोजना की प्रत्येक मुख्य सेविका द्वारा अपने क्षेत्र की संकलित सूचना (आंगनबाड़ी केन्द्रवार) बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्य सेविकाओं से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट की संकलित सूचना तैयार करायेगें और कम से कम 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करते हुये संकलित रिपोर्ट विलम्बतम 31 मई तक जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगे कि निर्धारित संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(8) जिला कार्यकम अधिकारी भी रैडम आधार पर कम से कम 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों के सर्वे का भौतिक सत्यापन करेंगे।

(9) नोडल अधिकारियों द्वारा भी रैण्डम आधार पर सर्वे का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

(10) प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका द्वारा निम्नानुसार मुख्य सेविका को प्रमाण पत्र दिया जायेगा :–

"सर्वे/सत्यापन का कार्य पूरी निष्ठा व सत्यता के साथ किया गया है तथा सभी लाभार्थियों का आधार नम्बर/EPIC नम्बर प्राप्त किया गया है तथा इसका अंकन भी पंजिका में कर दिया गया है।"

उपरोक्तानुसार मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकारी को व बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यकम अधिकारी को निम्नानुसार सर्वे/सत्यापन उपरान्त प्रमाण पत्र दिया जायेगा :–

"सभी लाभार्थियों का आधार नम्बर/EPIC नम्बर प्राप्त कर लिया गया है और इसका अंकन भी सम्बन्धित रजिस्टर में कर लिया गया है।"

जिला कार्यकम अधिकारी उपरोक्तानुसार अपना प्रमाण पत्र निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 को प्रस्तुत करेंगे।

(11) सर्वे का व्यापक प्रचार प्रसार भी करायें, जिससे सभी को जानकारी हो सके। ग्राम प्रधानों/पंचायत सदस्यों/क्षेत्र पंचायत सदस्यों व जनप्रतिनिधियों को भी सर्वे से अवगत करा दिया जाय और उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय तथा समाचार पत्रों में भी निःशुल्क प्रकाशन करायें।

(12) बाल विकास परियोजना अधिकारी अपनी परियोजना में तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद में इस सर्वे का दैनिक अनुश्रवण करेंगे और सर्वे की गुणवत्ता व समयबद्धता के लिये उत्तरदायी होंगें।

(13) परियोजनाओं से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा जनपद की सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने स्तर पर करते हुये जनपद की परियोजनावार सूचना निर्धारित प्रारूप पर Microsoft

Excel पर तैयार कर CD में तथा उसकी एक हार्ड कापी 05 जून, 2017 तक निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

(14) 06 वर्ष आयु तक के बच्चे जिनका नामांकन प्राथमिक/निजी विद्यालयों में हो गया है। सर्वे पंजिका में उनके नाम के सम्मुख विद्यालय का नाम अंकित किया जाये तथा केन्द्र पर ऐसे बच्चों की संख्या पृथक से रखे।

(15) उपरोक्त लाभार्थियों की सूचना का डिजिटाइजेशन भी निकट भविष्य में कराया जायेगा जिसके निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। अतः सर्वे पूरी गभीरता से किया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यक्रम से जनपद की समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अपने स्तर से अवगत/प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय से सर्वे कराकर सर्वे की सूचना निर्धारित निम्न प्रारूप पर 05 जून, 2017 तक निदेशालय के योजना अनुभाग की ई–मेल आई0डी0 yojanaicds @gmail.com पर microsoft excel sheet पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

प्रारूप

जनपद का नाम :–

परियोजना का नाम	स्वीकृत केन्द्र			संचालित केन्द्र		
	कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	कुल मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	योग	कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	कुल मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7

सर्वे के अनुसार संख्या								
0–6 माह आयु के बच्चे	06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चे	03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चे	कुल **(कॉलम 8+9+10)**	गर्भवती महिलाएं	धात्री माताएं	किशोरी बालिकाएं		
						11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली	15 से 18 वर्ष आयु की समस्त	योग **(कॉलम 14+15)**
8	9	10	11	12	13	14	15	16

पंजीकृत संख्या								
0–6 माह आयु के बच्चे	06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चे	03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चे	कुल **(कॉलम 17+18+19)**	गर्भवती महिलाएं	धात्री माताएं	किशोरी बालिकाएं		
						11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली	15 से 18 वर्ष आयु की समस्त	योग **(कॉलम 23+24)**
17	18	19	20	21	22	23	24	25

	आधार नम्बर वाले लाभार्थियों की संख्या	ऐसे लाभार्थियों की संख्या जिनके अभिभावकों का आधार नम्बर अंकित है	लाभार्थियों की संख्या जिनका EPIC अंकित है	लाभार्थियों की संख्या जिनके अभिभावक का EPIC अंकित है	योग
	26	27	28	29	30
0–6 माह					
6 माह से 3 वर्ष					
3 वर्ष से 6 वर्ष					

गर्भवती					
धात्री					
11–14 किशोरी					
15–18 किशोरी					

लाभार्थियों की संख्या							
06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चे	03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चे	कुल (कॉलम 30+31+32)	गर्भवती महिलाएं	धात्री माताएं	किशोरी बालिकाएं		
					11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली	15 से 18 वर्ष आयु की समस्त	योग (कॉलम 36+37)
31	32	33	34	35	36	37	38

	आधार नम्बर वाले लाभार्थियों की संख्या	ऐसे लाभार्थियों की संख्या जिनके अभिभावकों का आधार नम्बर अंकित है	लाभार्थियों की संख्या जिनका EPIC अंकित है	लाभार्थियों की संख्या जिनके अभिभावक का EPIC अंकित है	योग
	39	40	41	42	43
6 माह से 3 वर्ष					
3 वर्ष से 6 वर्ष					
गर्भवती					
धात्री					
11–14 किशोरी					
15–18 किशोरी					

भवदीया,

(अनीता सी. मेश्राम)
सचिव।

संख्या– 929 (1)/60–2–17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नोडल अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह रैण्डम आधार पर सर्वे/सत्यापन की जांच कर अपने स्तर पर निरन्तर समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)
उप सचिव।